न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारी :- राजेश कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 60/2003

जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2003/00010

वादीगण **बनाम** **प्रतिवादीगण**

वादीगण

गणेशाराम पुत्र मदाराम के वारिसान
1/1.हड़मानराम पुत्र गणेशाराम
1/2.देवाराम पुत्र गणेशाराम
1/3.झमकु बेवा गणेशाराम
2.थानाराम पुत्र मदाराम
3.रणछोड़राम पुत्र मदाराम
जाति चौधरी निवासी थोब
तहसील पचपदरा वर्तमान
तहसील कल्याणपुर व जिला बालोतरा

बनाम

प्रतिवादीगण

1.अचलाराम गोदपुत्र दीपाराम
2.नैनाराम गोदपुत्र अन्नाराम
3.धनाराम पुत्र हेमाराम के वारिसान
3/1.लालाराम पुत्र धनाराम कौम चौधरी के वारिसान
3/1/1.टीकमाराम पुत्र लालाराम
3/1/2.कानाराम पुत्र लालाराम
3/1/3.झमकुदेवी बेवा लालाराम
3/2.खीमाराम पुत्र धनाराम कौम चौधरी
4.कोलिया पुत्र हेमाराम के वारिसान
4/1.हरीराम पुत्र कोलिया
4/2.गीलाराम पुत्र कोलिया
4/3.चैनाराम पुत्र कोलिया कौम चौधरी
5.पुनमाराम पुत्र हेमाराम के वारिसान
5/1.खंगाराराम पुत्र पुनमाराम
5/2.चिमनाराम पुत्र पुनमाराम
5/3.रूपाराम पुत्र पुनमाराम
5/4. कुंपाराम पुत्र पुनमाराम कौम चौधरी
6.वगता पुत्र हेमाराम
7.पुनमा पुत्र हेमाराम
8.मंगलाराम पुत्र [illegible]
9.भोमाराम पुत्र सोनाराम
10.धुडाराम पुत्र सोनाराम
11.दीपाराम पुत्र सावलजी
12.भुराराम पुत्र भारमल
13.पुनमाराम गोदपुत्र नवाराम

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kuma
Date: 2024.09.11 18:13:23 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

14 निम्बाराम वल्द सवाराम

15 लालाराम वल्द सवाराम

16 दूदाराम वल्द सवाराम

17 नगाराम वल्द भीमाराम

18 मंगलाराम वल्द भीमाराम

19 डीमों बेवा भीमाराम

20 कानाराम वल्द सुटाराम के वारिसान

20/1 करनाराम पुत्र कानाराम

20/2 जबराराम पुत्र कानाराम

20/3 भैराराम पुत्र कानाराम जाति चौधरी निवासी थोब तहसील पचपदरा व वर्तमान तहसील कल्याणपुर

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति:–

1. श्री सुरेश नारायण खारवाल अधिवक्ता वादीगण
2. श्री संतोष भंसाली अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 01
3. प्रतिवादी संख्या 02 से 20 एकतरफा

निर्णय

दिनांक 07·08·24

1. संक्षिप्त में वाद–पत्र के सारवान तथ्य इस प्रकार है कि मुतवफी मदाराम की पुश्तैनी खातेदारी भूमि ग्राम रेवाड़ा जेतमाल तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 53 रकबा 171.02 बीधा व ग्राम थोब तहसील पचपदरा वर्तमान तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 107 रकबा 73.04 बीधा व खसरा संख्या 540,541,542,543,544 कुल रकबा 237.06 बीधा व खसरा संख्या 644,871,895,930,1030,1057 कुल रकबा 229.19 बीधा व खसरा संख्या 87/2,1055/2 कुल रकबा 76.02 बीधा व खसरा संख्या 641,763,764,861 कुल रकबा 66.07 बीधा व खसरा संख्या 698,711 कुल रकबा 07.7 बीधा व ग्राम राजेश्वर नगर की खसरा संख्या 965,974 कुल रकबा 24.08 बीधा एवं ग्राम राजपुरा की खसरा संख्या 262/2 रकबा 20.13 बीधा भूमि अ[illegible] जिस पर मदाराम का कब्जा–काश्त चला आ रहा था। मदाराम के छह पुत्र–गणेशराम, थानाराम,रणछोड़,अचलाराम,नैनाराम व सालगराम थे,जिसमें से [illegible] अन्नाराम के व सालगराम विशनाराम के गोद चल गए थे। गोदपुत्र चल जाने के कारण [illegible] तीनो का मदाराम की सम्पति में किसी प्रकार का हक हकूक नहीं बनता था। विवादित आराजी पर मदाराम व उसके बाद वादीगण का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। मदाराम के फोत

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Ku
Date: 2024.09.11 18:13:23 IS
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

होने पर विवादित आराजी में वादीगण के पक्ष में नामान्तकरण भरने के बजाय वादीगण के साथ प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का भी नाम दायर कर दिया गया,जो कि वादीगण के हक हकूक के साथ कुठराघात किया गया है। अतः वादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 व 02 की राजस्व रेकर्ड (जमाबंदी) में गलत प्रविष्टि को हटवाते हुए खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं प्रतिवादी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवानें हेतु वाद पेश किया है।

2. वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया,प्रतिवादी के सम्मन तामील शुदा प्राप्त हुए। प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से वादीगण के वाद–पत्र तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जवाबदावा पेश कर वादीगण का वाद खारिज करने का निवेदन किया गया। प्रतिवादी संख्या 02 से 10 एवं प्रतिवादी संख्या 17/1 से 17/3 की ओर से जरिए अधिवक्ता इकबाली जवाब पेश कर वादीगण का वाद स्वीकार किए जाने का निवेदन किया गया। प्रतिवादी संख्या 02 से 10 व 17/1 से 17/3 की ओर से इकबाली जवाब पेश किए जाने के बाद न्यायालय हाजा में उपस्थित नहीं हुए तथा प्रतिवादी संख्या 11 से 16 व 18 से 20 भी बावजूद सम्मन तामीली के उपस्थित नहीं होने के कारण प्रतिवादी संख्या 02 से 20 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत लिखित कथनानुसार वादीगण की ओर से मनगढत व झूठे तथ्यों के आधार पर वाद लाया गया है,क्योकि मदाराम द्वारा अपने जीवनकाल में ही नैनाराम व सालगराम को गोद दे दिया था। मदाराम संवत 2025 में फोत हुए थे। तब उनकी विवादित आराजी में वादीगण के साथ प्रतिवादी संख्या 01 का हक हिस्सा निहित होने के कारण खातेदारी अधिकार प्राप्त हुई तथा वादीगण के साथ प्रतिवादी संख्या 01 का अपने हिस्सेनुसार मौके पर कब्जा–काश्त चला आ रहा है। प्रतिवादी संख्या 01 (अचलाराम) मदाराम के फोत होने के बाद संवत 2027 में दीपाराम के गोद गया था। इस कारण हिन्दू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम के अनुसार प्रतिवादी संख्या 01 का हिस्सा निहित होता है। प्रतिवादी संख्या 01 का अपने हिस्सेनुसार मौके पर कब्जा–काश्त चला आ रहा है। अतः वादीगण का वाद गलत तथ्यो के आधार पर होने के कारण खारिज किया जावें।

4. प्रकरण में उभय पक्षकारान द्वारा पेश अभिवचनों के आधार पर निम्नानुसार विवाद्यक विरचित किए गए:–

<u>तनकी संख्या 1</u>–आया वादीगण दावा के पद संख्या 01 से 09 में दर्ज भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित करवाने के अधिकारीगण हैं ?

जिम्मे–वादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.11 18:13:23 IST
Reason: SelfAttested

<u>तनकी संख्या 2</u> –आया वादीगण दावा के पद संख्या 01 से 09 दर्ज भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का नाम राजस्व रेकर्ड से हटवाने के अधिकारीगण हैं ?

जिम्मे–वादीगण

<u>तनकी संख्या 3</u> –आया वादीगण दावा के पद संख्या 01 से 09 की भूमि के संबंध में प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा पाने के अधिकारीगण हैं ?

जिम्मे–वादीगण

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

तनकी संख्या 4 –आया वाद–पत्र मिस जोईण्डर ऑफ पार्टीज दोषपूर्ण होने से काबिल खारिज है ?

जिम्मे–प्रतिवादी संख्या 01

तनकी संख्या 5–आया दफा 12 (ब) हिन्दू दत्तक ग्रहण एवं भरण–पोषण के अनुसार प्रतिवादी संख्या 01 का हिस्सा उसमें वेस्ट होने के कारण वाद–पत्र चलने काबिल नहीं है ?

जिम्मे–प्रतिवादी संख्या 01

तनकी संख्या 6– सहायता (अनुतोष) ?

5. वादीगण की ओर से वाद–पत्र को साबित करने के लिए साक्ष्य गवाह में PW-01 रणछोड़, PW-02 नारायणराम व PW-03 नैनाराम सशपथ बयान लेखबद्व कराए गए तथा वादीगण की ओर से दस्तावेज साक्ष्य में प्रदर्श–01 वादग्रस्त भूमि ग्राम रेवाडा जेतमाल की खसरा संख्या 53 की जमाबंदी संवत 2051 से 2054 की प्रति,प्रदर्श–02 वादग्रस्त भूमि ग्राम थोब की खसरा संख्या 107 की जमाबंदी संवत 258 से 2061 की प्रति,प्रदर्श–3 वादग्रस्त भूमि ग्राम थोब की खसरा संख्या 540,541,542,543,544 कुल रकबा 237.06 बीधा की जमाबंदी संवत 2058 से 2061 की प्रति,प्रदर्श–4 ग्राम थोब की खसरा संख्या 644,871,895,930,1030,1057 कुल रकबा 229.19 बीधा व खसरा संख्या 87/2,1055/2 कुल रकबा 76.02 बीधा जमाबंदी संवत 2058 से 2061 की प्रति,प्रदर्श–5 ग्राम थोब की खसरा संख्या 641,763,764,861 कुल रकबा 66.07 बीधा व खसरा संख्या 698 व 711 कुल रकबा 07.07. बीधा जमाबंदी संवत 2058 से 2061 की प्रति,प्रदर्श–06 ग्राम राजपुरा की खसरा संख्या 262/2 रकबा 20.13 बीधा जमाबंदी संवत 2058 से 2061 की प्रति,प्रदर्श–07 निर्वाचक नामावली की प्रति,प्रदर्श–8 परिवार कार्ड के लिए आवेदन पत्र एवं प्रदर्श–9 गोदनामा की प्रति प्रदर्शित करवाए गए। प्रतिवादी की ओर से साक्ष्य गवाहान में DW-01 अचलाराम व DW-02 वाधाराम के बयानात लेखबद्ध करवाई गए।

6. हमनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी। वक्त बहस अधिवक्ता वादीगण नें निवेदन किया कि मुतवफी मदाराम की पुश्तैनी खातेदारी भूमि ग्राम रेवाड़ा जेतमाल तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 53 रकबा 171.02 बीधा व ग्राम थोब तहसील पचपदरा वर्तमान तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 107 रकबा 73.04 बीधा व खसरा संख्या 540,541,542,543,544 कुल रकबा 237.06 बीधा व खसरा संख्या 644,871,895,930,1030,1057 कुल रकबा 229.19 बीधा व खसरा संख्या 87/2,1055/2 कुल रकबा 76.02 बीधा व खसरा संख्या 641,763,764,861 कुल रकबा 66.07 बीधा व खसरा [illegible] कुल रकबा [illegible] बीधा व ग्राम राजेश्वर नगर की खसरा संख्या 965,974 कुल रकबा 24.[illegible] बीधा [illegible] ग्राम राजपुरा की खसरा संख्या 262/2 रकबा 20.13 बीधा [illegible] जिस [illegible] का कब्जा–काश्त चला आ रहा था। मदाराम के छह पुत्रः–[illegible], [illegible], रणछोड़, अचलाराम,नैनाराम व सालगराम थे,जिसमें से अचलाराम दीपाराम के,नैनाराम [illegible] के व सालगराम विशनाराम के गोद चल गए थे। गोदपुत्र चल जाने के कारण उक्त तीनो का मदाराम की सम्पति में किसी प्रकार का हक हकूक नहीं बनता था। विवादित आराजी पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.11 18:13:23 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

मदाराम व उसके बाद वादीगण का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। मदाराम के फोत होने पर विवादित आराजी में वादीगण के पक्ष में नामान्तकरण भरने के बजाय वादीगण के साथ प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का भी नाम दायर कर दिया गया,जो कि वादीगण के हक हकूक के साथ कुठाराघात किया गया है,जबकि वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादी का कब्जा काश्त नहीं है। केवलमात्र वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड में नाम होने का नाजायज फायदा उठाते हुए आए दिन वादीगण को वादग्रस्त आराजी बेचान करने एवं वादीगण को मौके से बेदखल करने की धमकियाँ दी जाती रहती है,जबकि प्रतिवादी संख्या 01 व 02 गोदपुत्र होने के कारण प्राकृतिक पिता की सम्पति में अधिकार नही बनता है। अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे ओर निवेदन किया कि वादीगण की ओर से साक्ष्य गवाहान एवं दस्तावेजी साक्ष्य से भी प्रमाणित है कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का वादग्रस्त आराजी मे कोई हक हकूक नहीं बनते है,लेकिन तत्कालीन राजस्व अधिकारों से मिलीभगत करते हुए प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा वादग्रस्त आराजी में गलत प्रविष्टि इन्द्राज करवा दी गई,जिसके प्रतिवादी संख्या 1 व 2 हकदार भी नहीं है। अतः वादीगण का वाद–पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम रेवाड़ा जेतमाल तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 53 रकबा 171.02 बीधा व ग्राम थोब तहसील पचपदरा वर्तमान तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 107 रकबा 73.04 बीधा व खसरा संख्या 540,541,542,543,544 कुल रकबा 237.06 बीधा व खसरा संख्या 644,871,895,930,1030,1057 कुल रकबा 229.19 बीधा व खसरा संख्या 87/2,1055/2 कुल रकबा 76.02 बीधा व खसरा संख्या 641,763,764,861 कुल रकबा 66.07 बीधा व खसरा संख्या 698,711 कुल रकबा 07.07 बीधा व ग्राम राजेश्वर नगर की खसरा संख्या 965,974 कुल रकबा 24.08 बीधा एवं ग्राम राजपुरा की खसरा संख्या 262/2 रकबा 20.13 बीधा भूमि के राजस्व रेकर्ड (जमाबंदी) में मदाराम के वारिसान में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम की गलत प्रविष्टि विलोपित करते हुए वादीगण की खातेदारी घोषित की जावें तथा वादीगण के पक्ष में प्रतिवादी संख्या 1 व 02 के विरूद्ध इस आंशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावें कि वादीगण के हक–हिस्से भूमि में दखलदांजी नहीं करे।

7. प्रतिवादी संख्या 01 अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादीगण का वाद–पत्र मनगढत एवं झूठे तथ्यों के आधार पर होने के कारण खारिज योग्य हैं,क्योंकि मदाराम की पुश्तैनी खातेदारी भूमि ग्राम रेवाड़ा जेतमाल तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 53 रकबा 171.02 बीधा व ग्राम थोब तहसील पचपदरा वर्तमान तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 107 रकबा 73.04 बीधा व खसरा संख्या 540,541,542,543,544 कुल रकबा 237.06 बीधा व खसरा संख्या 644,871,895,930,1030,1057 कुल रकबा 229.19 बीधा व खसरा संख्या 87/2,1055/2 कुल रकबा 76.02 बीधा व खसरा संख्या 641,763,764,861 कुल रकबा 66.07 बीधा व खसरा संख्या 698,711 कुल रकबा 07.7 बीधा व ग्राम राजेश्वर नगर की खसरा संख्या 965,974 कुल रकबा 24.08 बीधा एवं ग्राम राजपुरा की खसरा संख्या 262/2 रकबा 20.13 बीधा भूमि अवस्थित थी। मदाराम के जीवनकाल में ही नैनाराम अन्नाराम के गोद व सालगराम विशनाराम के गोद चले गये थे। इस प्रकार मदाराम के वारिसान में वादीगण के साथ प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kum
Date: 2024.09.11 18:13:23 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

संख्या 01 अचलाराम थे तथा वादग्रस्त आराजी पर मदाराम के साथ वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 का कब्जा–काश्त चला आ रहा था। मदाराम के देहान्त संवत 2025 में हुआ और फौतदगी नामान्तकरण वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 के पक्ष में पारित हुआ तथा उक्त नामान्तकरण वादीगण की जानकारी एवं उन द्वारा ही पारित करवा गया था। प्रतिवादी संख्या 01 अचलाराम दीपाराम के गोद संवत 2027 में गया था। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि के खातेदारी अधिकारी प्रतिवादी संख्या 01 को गोद जाने से पूर्व ही प्राप्त हो गए थे,पूर्व में प्राप्त भूमि गोद जाने के बाद भी उसके हक अधिकारों में रहेगी,जो दफा 12(ब) हिन्दू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम के अनुसार जायंदा पिता की जो भूमि अचलाराम में निहित (वेस्ट) हो गई थी,वह डिवेस्ट न होकर अपने साथ ले जायेगा। वर्तमान में वादग्रस्त आराजी की कीमतो मे बढोतरी होने के कारण वादीगण की नियत में खोट आने के कारण झूठे तथ्यो के आधार पर वाद पेश किया गया है,जो चलने योग्य नहीं है। इस प्रकार वादीगण प्रतिवादी संख्या 01 का हक हिस्सा प्राप्त करने के हकदार नहीं है। केवलमात्र प्रतिवादी संख्या 01 को परेशान करने की नियत से ही वाद पेश किया गया है। अतः वादीगण का वाद–पत्र सारहीन तथ्यों के आधार पर होने के कारण खारिज किया जावे।

8. हमनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस को ध्यानपूर्वक सुना और उस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड,दस्तावेजात एवं बयानात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा सुसंगत विधिक प्रावधानों पर गौर किया। प्रकरण के निस्तारण हेतु न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत बहस कथनों/तथ्यों एवं प्रदर्शित दस्तावेजात को समाहित करते हुए प्रकरण का तनकीवार विवेचन किया जाना न्यायसंगत एवं प्रासंगिक है,जो निम्नानुसार है:–

तनकी संख्या 1–आया आया वादीगण दावा के पद संख्या 01 से 09 में दर्ज भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित करवाने के अधिकारीगण है ?

जिम्मे–वादीगण

इस विवाद्यक बिंदु को साबित करने का भार वादीगण पर है। वादी की ओर से साक्ष्य गवाहान में PW- 01 रणछोडराम, PW-02 नारायणराम व PW-03 नैनाराम के बयानात् कलमबद्ध करवाए गए तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 01 से 08 प्रदर्शित करवाए गए। वादी पक्ष के गवाहान् बयानात से यह स्पष्ट हो चुका हैं कि मदाराम के 06 वारिस गणेशाराम, थानाराम, रणछोड, अचलाराम, नैनाराम, व सालगराम हैं तथा मदाराम के इस सजरा पर प्रतिवादी संख्या 01 (अचलाराम) द्वारा एतराज नहीं किया गया है तथा यह भी स्पष्ट है कि मादाराम के 06 पुत्रों में प्रतिवादी संख्या 01 अचलाराम दीपाराम के गोद गया तथा प्रति[illegible] 02 नैनाराम [illegible] गोद गया एवं सालगराम विशनाराम के गोद गया था। चूंकि कानूनन गोद चले [illegible] के प्राकृतिक पिता की सम्पति में गोदपुत्र का कोई हक–हकूक नही [illegible] खसरा संख्या 53 व खसरा संख्या 107 में प्रतिवादी संख्या 01 व 02 अचलाराम व नैनाराम का मदाराम के अन्य वारिस के साथ नाम दर्ज किया गया तथा अन्य विवादित आराजी [illegible] थोब तहसील पचपदरा वर्तमान तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 540,541,542,543,544 कुल रकबा 237.06 बीधा व खसरा संख्या 644,871,895,930,1030,1057 कुल रकबा 229.19 बीधा व खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kum
Date: 2024.09.11 18:13:23 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

खसरा 87/2,1055/2 कुल रकबा 76.02 बीघा व खसरा संख्या 641,763,764,861 कुल रकबा 66.07 बीघा व खसरा संख्या 698,711 कुल रकबा 07.7 बीघा व ग्राम राजेश्वर नगर की खसरा संख्या 965,974 कुल रकबा 24.08 बीघा एवं ग्राम राजपुरा की खसरा संख्या 262/2 रकबा 20.13 बीघा में वादी गणेशाराम, थानाराम व रणछोड के साथ प्रतिवादी संख्या 01 अचलाराम का भी नाम दर्ज किया गया,जो कि गोद जाने के बाद प्राकृतिक पिता की सम्पति प्राप्त करने का हकदार नहीं होता हैं। गोदनामा के पैरा संख्या 02 में अंकित है कि अचलाराम को गोद संवत् 2017 में हिन्दू रिति–रिवाज से लिया गया था तथा मदाराम का देंहान्त होना संवत् 2025 में होना बताया गया हैं और उसके बाद मदाराम की सम्पति में अचलाराम का कोई हकूक बनता भी नहीं हैं,क्योंकि गोदनामा अनुसार मदाराम के जीवनकाल में ही अचलाराम गोद दीपाराम के चला गया था। गोदनामा पंजीयन बाद में करवाने से वादीगण के हक–हकूको पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता हैं। वादी पक्ष के बयानात् से भी प्रमाणित होता है कि विवादित आराजी में प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का हक–हिस्सा बनता नहीं हैं। विधि में सुस्थापित सिद्धान्त हैं कि राजस्व रेकर्ड (जमाबंदी) में गलत इन्द्राज होने से उन्हे खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो जाते हैं। इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए हस्तगत प्रकरण में विवादित आराजी में प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के नाम की प्रविष्टि त्रुटिवश दर्ज हो रखी हैं,जो वादीगण रेकर्ड दुरस्ती करवाने के हकदार हैं। प्रतिवादी संख्या 02 से 10 व 17/1 से 17/3 जो कि वादग्रस्त भूमि सहखातेदार है,ने अपने इकबाली जवाब में स्वीकार किया है कि वादग्रस्त आराजी में वादीगण के साथ प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के नाम की गलत प्रविष्टि इन्द्राज हुआ है। उक्त इकबाली जवाब प्रतिवादी संख्या 02 नैनाराम ने भी स्वीकार किया है कि वादग्रस्त आराजी में मेरा नाम गलत इन्द्राज किया गया है। इससे साबित होता है कि प्रतिवादी संख्या 01 व 02 गोद चले जाने के कारण मदाराम की सम्पति में उनका कोई हक हकूक नही रहता है,लेकिन राजस्व रेकर्ड (जमाबंदी) में गलत प्रविष्टि इन्द्राज होने के कारण वादीगण के हक हकूक प्रभावित हो रहे है। ऐसी सूरत में वादी पक्ष यह साबित करने में सफल रहा है कि विवादित आराजी में प्रतिवादी संख्या 01 व 02 गोद चले जाने से प्राकृतिक पिता की सम्पति में कोई हक–हकूक नहीं बनता हैं। वादीगण विवादित आराजी की रेकर्ड दुरस्ती करवाने के हकदार बनते हैं। उपरोक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादी संख्या 01 व 02 खातेदारी अधिकार कायम रखने के हकदार नहीं है। न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि तनकी संख्या 01 वादीगण साबित करने में सफल रहने के कारण उनके पक्ष में निर्णीत की जाती है।

<u>तनकी संख्या 2</u>–आया वादीगण दावा के पद संख्या 01 से 09 दर्ज भूमि से प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का नाम राजस्व रेकर्ड से हटवाने के अधिकारीगण हैं ?

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kum
Date: 2024.09.11 18:13:23 IST
Reason: SelfAttested

जिम्मे वादीगण

इस विवादयक बिंदु को साबित करने का भार वादीगण पर रखा गया है,चूंकि तनकी ... वादीगण साबित करने में सफल रहे हैं तथा वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का नाम राजस्व–रेकर्ड (जमाबंदी) में हटवाने के अधिकारी बन गए हैं,जिसका विस्तृत विवेचन तनकी संख्या 01 में हो चुका हैं। इस कारण उक्त तनकी पर विस्तृत विवेचन किया जाना न्यायालय हाजा आवश्यक नहीं समझता हैं,क्योंकि वादीगण वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादी संख्या 01 व 02

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

की गलत प्रविष्टि हटवाने के अधिकारी हैं। अतः उक्त तनकी भी वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती हैं।

तनकी संख्या 03–आया वादीगण दावा के पद संख्या 01 से 09 की भूमि के संबंध में प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के खिलाफ - - - - - -स्थाई निषेधाज्ञा पाने के अधिकारीगण हैं ?

जिम्मे–वादीगण

इस विवाद्यक बिंदु को साबित करने का भार वादीगण पर रखा गया है। वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड(जमाबंदी) में गलत इन्द्राज प्रविष्टि अचलाराम व नैनाराम की हटवाई जाकर वादीगण को हक–हिस्सा प्राप्त होना तनकी संख्या 01 व 02 में साबित हो चुका हैं तथा खातेदारी अधिकारी वादीगण को प्राप्त हो चुके हैं। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 से 02 के बीच में विवाद विगत 21 वर्षो से चल रहा हैं तथा पक्षकारों के बीच फौजदारी मुकदमा बाजी भी हो चुकी हैं। वादी पक्ष के बयानात् व जिरह से यह भी साबित हो चुका हैं कि वादीगण के कब्जा –काश्त में प्रतिवादी द्वारा दखलदान्जी की जाती रही हैं। ऐसी सूरत में प्रतिवादी संख्या 01 व 02 को स्थाई निषेधाज्ञा से पांबद किया जाना विधि–सम्मत प्रतीत होता है। वादी पक्ष उक्त तनकी भी अपने पक्ष में साबित करने में सफल रहे हैं।

<u>तनकी संख्या 04–</u> आया वाद–पत्र मिस जोईण्डर ऑफ पार्टीज दोषयुक्त होने से काबिल खारिज हैं ?

जिम्मे–प्रतिवादी संख्या 01

इस विवाद्यक बिंदु को साबित करने का भार प्रतिवादी संख्या 01 पर रखा गया है। प्रतिवादी पक्ष की ओर से साक्ष्य गवाही में DW-01 स्वंय अचलाराम व DW-02 वाघाराम के बयानात् करवाए गए। उक्त तनकी के विवेचन के लिए सर्वप्रथम यहां आदेश 01 नियम 9 व्यवहार प्रक्रिया संहिता का उल्लेख करना आवश्यक समझते है:–**कुसंयोजन और असंयोजनः–**कोई भी वाद पक्षकारों के कुसंयोजन या असंयोजन के कारण विफल नहीं होगा और न्यायालय हर वाद में विवादग्रस्त विषय का निपटारा वहां तक कर सकेगा जहां तक उन पक्षकारों के,जो उसके वस्तुतःसमक्ष है,अधिकारो और हितो का सम्बन्ध है:

चूंकि उक्त वर्णित प्रावधान अनुसार कोई वाद मात्र पक्षकारों के कुसंयोजन के आधार पर खारिज किय जाने के द्वष्टिगत न्यायालय द्वारा उदार द्वष्टिकोण अपनाया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है। फिर भी वादीगण द्वारा अपने वाद–पत्र में पद संख्या 11 में कथन किया गया है कि प्रतिवादी संख्या 03 से 20 ते राजस्व रेकर्ड में सहखातेदार काश्तकार दर्ज होने से यह फार्मल पक्षकार है। इसलिए इनको दावे में पक्षकार बनाया हुआ है। आपसी हिस्सा जो [illegible] में गलत दर्ज है इसके विवाद को हल करने के लिए अलग से दावा किया जायेगा। उक्त बिन्दु पर प्र[illegible] 01 द्वारा अपने लिखित कथन में कोई विशिष्ट तथ्यों का अंकन नहीं किया और न ही पत्रा[illegible] दस्तावेजो तथा वक्त साक्ष्य इस तनकी को साबित किया गया है। उपरोक्त [illegible] पर न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि उक्त तनकी प्रतिवादी संख्या 01 सा[illegible] करने में सफल नहीं रहा हैं। अतः उक्त तनकी प्रतिवादी संख्या 01 के विरूद्व निर्णित की जाती हैं।

सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.11 18:13:23 IST
Reason: SelfAttested

तनकी संख्या 05– आया दफा 12 (ख) हिन्दू दतक ग्रहण एवं भरण–पोषण के अनुसार प्रतिवादी संख्या 01 का हिस्सा उसमें वेस्ट होने के कारण वाद–पत्र चलने काबिल नहीं है ?

जिम्मे–प्रतिवादी संख्या 01

इस विवाद्यक बिंदु को साबित करने का भार प्रतिवादी संख्या 01 पर रखा गया है। चुंकि गोदनामा अवलोकन करने मात्र से स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 01 (अचलाराम) दीपाराम के गोद संवत् 2017 में ही चला गया था,जो पंजीयन गोदनामा इबारत पढ़ने मात्र से साबित है। भले ही पंजीयन बाद में करवाया हो। मदाराम के जीवनकाल में ही अचलाराम दीपाराम के गोद चला गया था,बाद में संवत् 2025 के करीब मदाराम का देहान्त हुआ। फौतदगी नामान्तकरण केवलमात्र वादीगण के पक्ष में भरा जाना चाहिए था,लेकिन वादीगण के साथ प्रतिवादी अचलाराम व नैनाराम का भी नाम दर्ज किया गया। हिन्दू दतक तथा भरण–पोषण अधिनियम 1956 की धारा 12.<u>दतक के परिणाम:</u> दतक अपत्य की तारीख से अपने दतक पिता या माता का अपत्य समस्त प्रयोजनो के लिए समझा जाएगा और ऐसी तारीख से यह समझा जाएगा कि उस अपत्य के अपने जन्म के कुटुम्ब के साथ समस्त बन्धन टूट गए है और उनका स्थान उन बन्धनो ने ले लिया है जो दतक कुटुम्ब में दतक के कारण सृजित हुए हो:

परन्तु–

(क)वह अपत्य किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह नहीं कर सकेगा जिससे कि यदि वह अपने जन्म के कुटुम्ब मे ही बना रहा होता तो वह विवाह न कर सकता था,

(ख)कोई भी सम्पति जो दतक अपत्य में दतक के पूर्व निहित थी,ऐसी सम्पति के स्वामित्व से संलग्न बाध्यताओं के,यदि कोई हो,अध्यधीन,जिनके अन्तर्गत उसके जन्म के कुटुम्ब में के नातेदारो का भरण पोषण करने की बाध्यता भी आती है,ऐसे व्यक्ति में निहित बनी रहेगी,

यदि मान भी लिया जावें कि प्रतिवादी संख्या 01 (अचलाराम) मदाराम के फौत होने के बाद गोद गया था,लेकिन प्रतिवादी संख्या 01 हिन्दू दतक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 12 (ख) में वर्णित प्रावधानों के तहत अपना पक्ष साबित करने में सफल नहीं रहा है। ऐसी सूरत में वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के नाम की प्रविष्टि गलत इन्द्राज हो रखी है,जो कि राजस्व रेकर्ड (जमाबंदी) में प्रविष्टि विलोपित की जानी न्यायसंगत है। उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है कि उक्त तनकी भी प्रतिवादी साबित करने असफल रहा है। अतःउक्त तनकी भी प्रतिवादी के विरूद्व निर्णीत की जाती है।

<u>तनकी संख्या 06–अन्य दादरसी</u> ? उक्त तनकी पर विवेचन करने की आवश्यकता नहीं है,क्योंकि पक्षकार इस्तदुआ से अतिरिक्त परिलाभ प्राप्त करना साबित नहीं कर पाए है।

अनुतोषः–उपयुर्क्त विवेचन के आधार पर यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पंहुचा है कि [illegible] वाद–पत्र में कायम तनकी संख्या 01 से 03 को साबित करने में [illegible] तथा प्रतिवादी अपने पक्ष को साबित करने में सफल नहीं हो पाया है। अतः वादीगण के वाद [illegible] तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के परिप्रेक्ष्य में उक्त विवेचन के आधार पर वाद वादीगण स्वीकार किया जाना न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kum
Date: 2024.09.11 18:13:23 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

:निर्णय:

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वाद वादीगण अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली भांति साबित होने एवं सारवान होने के कारण वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम रेवाड़ा जेतमाल तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 53 रकबा 171.02 बीधा भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 व 02(अचलाराम व नैनाराम) की राजस्व रेकर्ड (जमाबंदी) में गलत प्रविष्टि को विलोपित करते हुए हिस्सा वादीगण की खातेदारी में धोषित किया जाता है तथा इसी प्रकार ग्राम थोब तहसील पचपदरा वर्तमान तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 107 रकबा 73.04 बीधा भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 व 02(अचलाराम व नैनाराम) की राजस्व रेकर्ड (जमाबंदी) में गलत प्रविष्टि को विलोपित करते हुए हिस्सा वादीगण की खातेदारी में धोषित किया जाता है। इसी प्रकार ग्राम थोब तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 540,541,542,543,544 कुल रकबा 237.06 बीधा व खसरा संख्या 644,871,895,930,1030,1057 कुल रकबा 229.19 बीधा व खसरा संख्या 87/2,1055/2 कुल रकबा 76.02 बीधा व खसरा संख्या 641,763,764,861 कुल रकबा 66.07 बीधा व खसरा संख्या 698,711 कुल रकबा 07.07 बीधा व ग्राम राजेश्वर नगर तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 965,974 कुल रकबा 34.08 बीधा एवं ग्राम राजपुरा तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 262/2 रकबा 20.13 बीधा भूमि में प्रतिवादी संख्या 01(अचलाराम) की राजस्व रेकर्ड (जमाबंदी)में गलत प्रविष्टि को विलोपित करते हुए हिस्सा वादीगण की खातेदारी में धोषित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 01 को स्थाई निषेधाज्ञा से पांबद किया जाता है कि वादीगण की खातेदारी भूमि में दखलदान्जी नहीं करें। तहसीलदार पचपदरा/कल्याणपुर को निर्देशित किया जाता है कि अपने संबधित क्षेत्र में स्थिति भूमि की तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल–दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हों।

(राजेश कुमार)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 07.8.2024 को लिखा जाकर सरे–ए–इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.11 18:13:23 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

डिक्री–पर्चा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः– राजेश कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 60/2003

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2003/00010

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
गणेशाराम पुत्र मदाराम के वारिसान 1/1.हड़मानराम पुत्र गणेशाराम 1/2.देवाराम पुत्र गणेशाराम 1/3.झमकु बेवा गणेशाराम 2.थानाराम पुत्र मदाराम 3.रणछोड़राम पुत्र मदाराम जाति चौधरी निवासी थोब तहसील पचपदरा वर्तमान तहसील कल्याणपुर व जिला बालोतरा		1.अचलाराम गोदपुत्र दीपाराम 2.नैनाराम गोदपुत्र अन्नाराम 3.धनाराम पुत्र हेमाराम के वारिसान 3/1.लालाराम पुत्र धनाराम कौम चौधरी के वारिसान 3/1/1.टीकमाराम पुत्र लालाराम 3/1/2.कानाराम पुत्र लालाराम 3/1/3.झमकुदेवी बेवा लालाराम 3/2.खीमाराम पुत्र धनाराम कौम चौधरी 4.कोलिया पुत्र हेमाराम के वारिसान 4/1.हरीराम पुत्र कोलिया 4/2.गीलाराम पुत्र कोलिया 4/3.चैनाराम पुत्र कोलिया कौम चौधरी 5.पुनमाराम पुत्र हेमाराम के वारिसान 5/1.खंगाराराम पुत्र पुनमाराम 5/2.चिमनाराम पुत्र पुनमाराम 5/3.रूपाराम पुत्र पुनमाराम 5/4. कुंपाराम पुत्र पुनमाराम कौम चौधरी 6.वगता पुत्र हेमाराम 7.पुनमा पुत्र [illegible] 8.मंगलाराम पुत्र सोनाराम 9.भोमाराम पुत्र सोनाराम 10.धुडाराम पुत्र सोनाराम 11.दीपाराम पुत्र सांवलजी 12.भुराराम पुत्र भारमल 13.पुनमाराम गोदपुत्र नवाराम

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kuma
Date: 2024.09.11 18:13:23 IST
Reason: SelfAttested

14 गिगनाराम वल्द सवाराम

15 लालाराम वल्द सवाराम

16 दुदाराम वल्द सवाराम

17 नगाराम वल्द भीमाराम

18 मंगलाराम वल्द भीमाराम

19 झीमों बेवा भीमाराम

20.कानाराम वल्द सुटाराम के वारिसान

20/1.करनाराम पुत्र कानाराम

20/2.जबराराम पुत्र कानाराम

20/3.भैराराम पुत्र कानाराम जाति चौधरी निवासी थोब तहसील पचपदरा व वर्तमान तहसील कल्याणपुर

राजस्व वाद बाबत:–88,188 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नम्बर 60/2003

निर्णय दिनांक :–07.08..2024

वादीगण की ओर से श्री सुरेश नारायण खारवाल अधिवक्ता की उपस्थिति व प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से श्री संतोष भंसाली अधिवक्ता की उपस्थिति एवं प्रतिवादी संख्या 02 से 20 एकतरफा इस वाद में आज तारीख 07.8.2024 को श्री राजेश कुमार (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर,निर्णय किया जाता है और **डिक्री दी जाती है कि**:–वादीगण वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली भांति साबित होने एवं सारवान होने के कारण वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम ग्राम रेवाड़ा जेतमाल तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 53 रकबा 171.02 बीधा भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 व 02(अचलाराम व नैनाराम) की राजस्व रेकर्ड (जमाबंदी) में गलत प्रविष्टि को विलोपित करते हुए हिस्सा वादीगण की खातेदारी में धोषित किया जाता है तथा इसी प्रकार ग्राम थोब तहसील पचपदरा वर्तमान तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 107 रकबा 73.04 बीधा भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 व 02(अचलाराम व नैनाराम) की राजस्व रेकर्ड (जमाबंदी) में गलत प्रविष्टि को विलोपित करते हुए हिस्सा वादीगण की खातेदारी में धोषित किया जाता है। इसी प्रकार ग्राम थोब तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 540,541,542,543,544 कुल रकबा 237.06 बीधा व खसरा संख्या 644,871,895,930,1030,1057 कुल रकबा 229.19 बीधा व खसरा संख्या 87/2,1055/2 कुल रकबा 76.02 बीधा व खसरा संख्या 641,763,764,861 कुल रकबा 66.07 बीधा व खसरा संख्या 698,711 कुल रकबा 07.07 बीधा व ग्राम राजेश्वर नगर तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 965,974 कुल रकबा 34.08 बीधा एवं ग्राम राजपुरा तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 262/2 रकबा 20.13 बीधा भूमि में प्रतिवादी संख्या 01(अचलाराम) की राजस्व रेकर्ड (जमाबंदी)में गलत प्रविष्टि को विलोपित करते हुए हिस्सा वादीगण की खातेदारी में धोषित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 01 को स्थाई निषेधाज्ञा से पांबद किया जाता है कि वादीगण की खातेदारी भूमि में दखलंदाजी नहीं [illegible] पचपदरा/कल्याणपुर को निर्देशित किया जाता है कि अपने संबधित क्षेत्र में [illegible] की तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल–दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें। यह आज तारीख 07.8.2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kuma
Date: 2024.09.11 18:13:23 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) * बालोतरा

वाद के खर्चे

वादीगण	रूपया	प्रतिवादीगण	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		2.अर्जी के लिए स्टाम्प	
3.प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		3.प्लीडर की फीस	
4..........रूपये पर प्लीडर की फीस		4.साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	———
5.साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय	–	5.आदेशिका की तामील	
6.कमिश्नर की फीस		6.कमिश्नर की फीस	
7.आदेशिका की तामिल			
जोड़	–	जोड़	———

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) * बालोतरा *

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.11 18:13:23 IST
Reason: SelfAttested